1648 का प्रस्ताव निरस्त किया गया।
विपक्षीगण सं. 01 से 06 अनुपस्थित
रहने से इनके विरुद्ध Expartee
का आदेश दिया जाता है।
नियमानुसार तहसीलदार आबूरोड
से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 43 दिनांक
5/3/2025 पर बहस हेतु अगली
दिनांक 25/3/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

25/3/25 पत्रावली पेश। प्रार्थी अधिवक्ता
श्री ~~[illegible]~~ प्रस्ताव क्रमांक
43 दिनांक 5/03/2025 पर
बहस सुनी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251 दं.प्र.सं.
कार्रवाई करने को स्वीकार
किया जाता है।
विपक्षीगण पृथक से
लिखा जाकर समन्वित
~~किया जाता~~
पत्रावली मुकदमा पूर्व
होकर नंबर हो सकती है।

प्रस्ताव स्वीकार है

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shankar Lal Meena
Date: 2025.06.04 15:05:26 IST
Reason: SelfAttested